<u>न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच, जिला जालौन।</u>

जमानत प्रा०पत्र- /23

मुकदमा सं०-756/2022

सरकार बनाम जितेन्द्र सिंह आदि।

मु.अ.सं.-49/2022

धारा-498-A,323,504 भा०दं०सं०

व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि०।

थाना-रेंढ़र, जिला जालौन।

<u>दिनांक 01.05.2023</u>

प्रार्थी/आवेदक **जितेन्द्र सिंह** पुत्र रामानन्द की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र, मु.अ.सं.-49/2022, धारा-498-A,323,504 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि०, थाना-रेंढ़र, जिला जालौन के प्रकरण में आत्मसमर्पण एवं जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रा०पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी पूर्व से अंतरिम जमानत पर था। मध्यस्थता केन्द्र में अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अभियुक्त की अंतरिम जमानत अग्रिम तिथि तक बढ़ाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पूर्व से अंतरिम जमानत पर है। चूंकि मामला मध्यस्थता केन्द्र उरई में मामला विचाराधीन है। प्रार्थी वादिनी मुकदमा का पति है। सुलह समझौता का प्रयास किया जा रहा है। अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। मध्यस्थता केन्द्र से आख्या अभी नहीं आयी है। अभियुक्त को पूर्व में दाखिल जमानत प्रपत्रों व मुव० 20,000/-रु० की पी०बी० दाखिल करने पर उसकी अंतरिम जमानत **दिनांक 01.06.2023 बढायी जाती है।** अभियुक्त उक्त तिथि को व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोंच, जिला जालौन।